

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

49

क्रमांक 84/एफ 1-1/09/34-2/2

रायपुर, दिनांक 27 मई, 2009

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छ0ग0रायपुर

विषय:- विभागीय सामग्री क्य करने हेतु क्य नियमों का कड़ाई से पालन करने बावत् ।

000

प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांतर्गत पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय प्रकार की सामग्रियों का क्य करते समय कार्य विभाग मैन्यूअल, वित्तीय अधिकार पुस्तिका, छत्तीसगढ़ भण्डार क्य नियम 2002 में निहित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, नियम का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसी सामग्रियों का क्य न किया जाये जिसकी तात्कालिक आवश्यकता न हो। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए ।

IOS/IS/ES/PIG/AS/GS

ms
CE



विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

रायपुर, दिनांक 27 मई, 2009

पृ0क0845 एफ 1-1/09/34-2/2


प्रतिलिपि:-

✓

मुख्य अभियंता, लो0स्वा0यां0वि0 परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे परिक्षेत्र के अधीन उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

2/ अधीक्षण अभियंता, लो0स्वा0यां0वि0 मण्डल रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/
-अंबिकापुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने मण्डल के अधीन उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

3/ समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक स्वा0 यांत्रिकी खण्ड _____ की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने खण्ड के अधीन उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।





विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

ambika
sik